# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 2020/00170**

**एवं**

**कॉस अपील संख्या : 2021/00008**

भंवरी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण उर्फ भूणचन्द पत्नी मोहन लाल जाति धाकड जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली हाल निवास कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ भूणचन्द आयु 70 वर्ष आत्मज रामरतन जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गीता बाई आयु 45 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण उर्फ भूणचन्द पत्नी सीताराम जाति धाकड निवासी भवानीपुरा हाल निवास सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मनभर आयु 42 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण उर्फ भूणचन्द पत्नी सीताराम जाति धाकड निवासी भवानीपुरा हाल निवास थलियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. रामधन्नी आयु 38 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण उर्फ भूणचन्द पत्नी नेतराम जाति धाकड निवासी भवानीपुरा हाल निवास दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. संज्या आयु 35 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण उर्फ भूणचन्द पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली हाल निवास कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. सुवा आयु 68 वर्ष आत्मज रामरतन जाति धाकड निवासी भवानीपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 6/1. भंवर लाल आत्मज सुवालाल जाति धाकड निवासी भवानीपुरा ।
   - 6/2. रमेश आत्मज सुवालाल जाति धाकड निवासी भवानीपुरा ।
   - 6/3. विनोद आत्मज सुवालाल जाति धाकड निवासी भवानीपुरा ।
   - 6/4. कैलाशी बाई बेवा पत्नी सुवालाल जाति धाकड निवासी भवानीपुरा ।
   - 6/5. सरमा बाई पुत्री सुवालाल पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड निवासी भवानीपुरा हाल निवास ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   - 6/6. राजेश पुत्री सुवालाल पत्नी मोन्टू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा हाल निवास ग्राम दोलाडा तहसील व जिला बून्दी ।
7. प्रहलाद आयु 50 वर्ष आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. शंकर आयु 48 वर्ष आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

9. विजेन्द्र आयु 42 वर्ष आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. परसीराम आयु 35 वर्ष आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. गोपाल आयु 40 वर्ष आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. गिरिराज आयु 35 वर्ष आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. पुष्पा आयु 72 वर्ष बेवा नाथू जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. विनोद आयु 28 वर्ष आत्मज सुवा जाति धाकड निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला कोटा ।
15. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
16. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।
17. श्रीमान् पटवारी पटवारी मण्डल भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
18. श्रीमान् पटवारी, पटवार मण्डल रेण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 27.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली में कुल 12 किता की रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम रेण तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 1220 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । पक्षकारान एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि प्रार्थिया के दादा रामरतन आत्मज देवीराम कौम धाकड की खातेदारी की है । रामरतन जी ने ही उक्त भूमि को पडत से फाडकर आबाद किया था । रामरतन जी ने उक्त भूमि की सिंचाई हेतु मौके पर कुआ खुदवाया और जीवनपर्यन्त

काबिज काश्त रहे । रामरतन जी ने उक्त भूमि की आमदनी से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम बनाई है अर्थात् उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आमदनी से अर्जित की हुई भूमि है जिसमें प्रार्थिया का हक व अधिकार है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का हित निहित है । वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई है जिससे अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई है जो प्रार्थिया के हिस्से की भूमि प्रार्थिया को नहीं देने के आशय से उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजजियात में प्रार्थिया को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें । प्रार्थिया को उनकी भूमि की सिंचाई करने व प्रार्थिया के उपयोग–उपभोग में अवरोध पैदा नहीं करें । उक्त भूमि को रहन, बेचान अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अशंतः स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ग्राम भवानीपुरा की आराजी के लिए ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया तथा ग्राम रेण तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 1220 रकबा 6.5 बीघा पर जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 से व्यथित होकर प्रार्थिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को अन्तरण नहीं करने व भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि पर उपयोग–उपभोग में अवरोध नहीं करने व भूमि पर से बेदखल नहीं करने बाबत् अनुतोष चाहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कब्जे में दखन्दाजी नहीं करने व भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् कोई आदेश पारित किये बिना ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का हक हिस्सा है । ग्राम रेण की आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 एवं 6/1 लगायत 6/6 व 14 ने न्यायालय हाजा में क्रॉस अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भवानीपुरा में स्थित आराजी में अपीलान्ट का 1/21 हिस्सा बनता है जिसे रेस्पोडेन्टगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में देना स्वीकार किया हुआ है एवं ग्राम रेण

की भूमि खसरा नम्बर 1120 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा में अपना 1/6 हिस्सा बताया गया है जो कि गलत है क्योंकि ग्राम रेण की आराजी स्वअर्जित सम्पत्ति है । रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट के हिस्से तक की आराजी में किसी प्रकार का कोई रहन, बेचान अन्तरण इत्यादि नहीं करने का जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से सहमति प्रकट की गई है इसके उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध ग्राम भवानीपुरा की भूमि के बाबत् जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । अतः क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थिया अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी कुल 12 किता की रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम भवानीपुरा और खसरा नम्बर 1220 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम रेण के लिए हक घोषणा एवं बंटवारे का दावा पेश किया था और दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की थी जिसको ग्राम रेण के लिए त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिसको यदि रेस्पोडेन्टगण ने खुर्द–बुर्द कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा जी को विरासत में प्राप्त हुई है । खसरा नम्बर 1220 की आराजी को स्वअर्जित मानकर त्रुटि की है क्योंकि यह आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम आवंटित नहीं हुई थी वरन् ग्राम भवानीपुरा की पैतृक आराजी की आय से क्रय किया गया था । इसमें रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम भवानीपुरा की आराजी में अप्रार्थी नम्बर 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । रेण की आराजी रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित आराजी है जिसमें अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । यह आराजी सन् 1984 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट ने क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है । अप्रार्थी क्रम 01 के कोई पुत्र नहीं है । प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 5 अप्रार्थी क्रम 01 की पुत्रियॉ हैं । प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजी में 1/21 हिस्सा निहित है अप्रार्थी स्वयं और उनकी पत्नी जीवित हैं और उनकी 05 पुत्रियॉ हैं । तद्नुसार प्रार्थिया का 1/21 हिस्सा बनता है । परीक्षण न्यायालय ने ग्राम भवानीपुरा की आराजी में प्रार्थिया के 1/18 हिस्से के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट ने स्वयं अपीलान्ट के 1/21 हिस्से को रहन, बेचान न करने की सहमति दी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर क्रॉस अपील स्वीकार फरमाई जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति जमाबन्दी पंचमाला संवत् 2009 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी रामरतन वल्द देवीराम के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल की संलग्न की गई है । फोटो प्रति खसरा गिरदावरी भी संलग्न है । इसके अलावा ग्राम रेण की फोटो प्रति नकल नामान्तरकण संख्या 340 संलग्न है जिसके अनुसार

वादग्रस्त आराजी विक्रय के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के नाम दर्ज हुई है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी ग्राम भवानीपुरा की संलग्न है जिसके अनुसार 12 किता की 31 बीघा 08 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की 05 पुत्रियॉ हैं । तद्नुसार यदि ग्राम भवानीपुरा की आराजी को पैतृक माना जावे तो अपीलान्ट का इसमें 1/18 हिस्सा ही बनता है और इसके बाबत् परीक्षण न्यायालय ने उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । रेस्पोडेन्ट ने क्रॉस ऑब्जेक्शन में कथन किया है कि अपीलान्ट का 1/18 हिस्सा नहीं वरन् 1/21 हिस्सा बनता है परन्तु उनके द्वारा अपनी पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया है । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट का जो 1/18 हिस्सा तय किया है वो प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है । जहॉ तक ग्राम रेण की आराजी है यह रेस्पोडेन्ट के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के जीवनकाल में अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 बहाल रखा जाता है । रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 एवं 6/1 लगायत 6/6 व 14 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन अपील भी खारिज की जाती है ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा